



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2022—माघ 13, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्र. एफ ए-3-35-2017-1-पांच (08).—मध्यप्रदेश माल और सेवा अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-03-35-2017-1-पांच (63) दिनांक 07 दिसम्बर 2018 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

- (i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम 2 में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “0303 ,0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309” को प्रतिस्थापित किया जाएगा
- (ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सज्जियाँ जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “अन्य नद्देस, ताजा, जैसे बादाम, हेजलनट्स या फिलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेर्स्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नद्देस, कोला नद्देस (कोला एसपीपी.), अरीका नद्देस, पाइन नद्देस, ताजा, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

“ 97क	2009 89 90	टैंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और, - (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में करवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो अनुबंध में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो ”;
-------	------------	---

- (v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम 2 में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "8807" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी 2022 से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उप सचिव,

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2022

क्र. एफ ए-3-35-2017-1-पांच .-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-35-2017-1-पांच (08), दिनांक 02 फरवरी, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. श्रीवास्तव, उप सचिव.

Bhopal, the 2nd February 2022

No. F A 3-35/2017/1/V (08) : In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A-3-35/2017/1/FIVE(63) dt 30.06.2017, namely :-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 22, for the entry in column (2), the entry "0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309" shall be substituted;
- (ii) against S. No. 43B, in column (3), for the entry, the entry "Vegetables provisionally preserved, but unsuitable in that state for immediate consumption" shall be substituted;
- (iii) against S. No. 49, in column (3), for the entry, the entry "Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts (Corylus spp.), walnuts, Chestnuts (Castanea spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts (Cola spp.), Areca nuts, Pine nuts, fresh, whether or not shelled or peeled" shall be substituted;
- (iv) after S. No. 97 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

"97A	2009 89 90	Tender coconut water other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE I];
------	------------	--

- (v) S. No. 101 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) against S. No. 141, for the entry in column (2), the entry "8807" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.